उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की 13वीं बैठक के लिये एजेण्डा बिन्दु

क्र0 सं0	बिन्दु	प्रस्ताव	निर्णय
1.	**उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की गत बैठक के अनुमोदित कार्यवृत्त, सभी सदस्यों को प्रेषित कर दिये गये है। किसी भी सदस्य के स्तर से कोई भी आपत्ति/टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है।**	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के क्रियान्वयन हेतु कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की शासी निकाय की गत आहुत बैठक दिनांक 08 नवम्बर 2016 का कार्यवृत्त कार्यालय के पत्र क्रमांक 3053/आजीविका /एच0आर0/2016–17 लखनऊ, दिनांक 29 नवम्बर 2016 द्वारा सदस्यों को प्रेषित किया गया था। प्रेषित कार्यवृत्त पर किसी सदस्य की कोई आपत्ति/टिप्पणी प्राप्त नहीं हुयी है। अतः कार्यवृत्त पर अनुमोदन प्रस्तावित है।	समिति द्वारा कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
2.	**गत बैठक में लिये गये निर्णय की अनुपालन आख्या।**	अनुपालन आख्या पत्र क्रमांक 941/843/आजीविका/मानव संसाधन/लखनऊ, दिनांक 31.07.2017 के माध्यम से प्रेषित की जा चुकी है। प्रेषित कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या पर समिति के किसी सदस्य की कोई आपत्ति/टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है।	समिति अनुपालन से अवगत हुई। 12वीं शासी निकाय की बैठक के एजेण्डा–12 के निर्देश के क्रम में डिजिटल ग्रीन संस्था द्वारा प्रशिक्षित समूह की महिलाओं द्वारा तैयार की गयी संक्षिप्त फिल्म दिखायी गयी।
3.	**उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की अबतक की प्रगति का प्रस्तुतिकरण।**	उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की अद्यतन प्रगति का प्रस्तुतिकरण पृथक से पावर पाइन्ट (Microsoft Power Point Presentation) के माध्यम से शासी निकाय की बैठक में प्रस्तुत किया गया है।	समिति अब तक मिशन की अद्यतन प्रगति से अवगत हुई।
4.	**भारत सरकार द्वारा मिशन की अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना 2017–18 का अवलोकन तथा कार्योत्तर स्वीकृती हेतु अनुमोदन।**	उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा 912.37 करोड़ की कार्य योजना तैयार की गई जिसके सापेक्ष 912.37 करोड़ रू0 की कार्ययोजना ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की Empowered Committee द्वारा स्वीकृत की गई। **<u>भौतिक लक्ष्यः–</u>** वित्तीय वर्ष 2017–18 में परियोजना का विस्तार बुदेलखण्ड के 04 जनपदों ललितपुर, चित्रकुट, महोबा एवं झांसी में किया गया है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2017–18 में परियोजना का विस्तार 31 जनपदों से बढ़कर 35 जनपद एवं 104 विकास खण्डों से बढ़कर 200 विकास खण्डों में किया जा रहा है। ➢ वित्तीय वर्ष 2017–18 में 04 नये जनपद तथा 96 नये विकास खण्ड को इन्टेन्सिव रूप में कार्य किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। ➢ वित्तीय वर्ष 2017–18 में 584160 गरीब परिवार की महिलाओं	समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 की वार्षिक कार्ययोजना की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।

		को जोड़कर 48680 स्वयं सहायता समूहों का निर्माण करना है। साथ ही इन समूहों को 4200 ग्राम संगठन अन्तर्गत जोड़ा जाना है एवं 225 संकुल स्तरीय संघ अन्तर्गत ग्राम संगठनों को जोड़ा जाना है। ➢ वित्तीय वर्ष 2017–18 में 40460 समूहों को रिवाल्विंग फण्ड एवं 29120 समूहों को कम्यूनिटी इन्वेस्टमेंट फण्ड प्रदान किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। उपरोक्त वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों से समिति को अवगत कराते हुये अपेक्षा है कि समिति मिशन 2017–18 की कार्ययोजना को कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान करना चाहें।	
5.	**नीति आयोग से प्राप्त निर्देश के क्रम में विजन स्टेटमेन्ट का अनुमोदन।**	नीति आयोग से मिशन का विजन स्टेटमेन्ट तैयार करने हेतु निर्देश प्राप्त हुये है। अतः मिशन द्वारा तैयार विजन स्टेटमेन्ट इस प्रकार हैः– ''उत्तर प्रदेश राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहें प्रत्येक ग्रामीण गरीब परिवारों से एक महिला को स्वयं सहायता समूहों में संगठित कर उनकी क्षमता वृद्धि एवं वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराते हुए आजीविका संवर्द्धन के माध्यम से गरीबी के दुश्चक्र से बाहर निकालना है।'' कृपया समिति उक्त विजन स्टेटमेन्ट का अनुमोदन प्रदान करना चाहें।	समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
6.	**मिशन अन्तर्गत राज्य मिशन प्रबन्धन इकाई (SMMU), इन्टेन्सिव जनपदों (DMMU) एवं इन्टेन्सिव विकास खण्डों (BMMU) हेतु वर्ष 2017–18 की वार्षिक कार्ययोजना की अवधि में रिक्त पदों पर प्रोफेशनल्स के पदों पर मानव संसाधन नियमावली, मॉडल वित्त नियमावली एवं प्रोक्योरमेन्ट मैन्युअल के अर्न्तगत HR Recruitment Agency & HR Payroll Management Agency की सेवायें लिये जाने के सम्बन्ध में अनुमोदन।**	मॉडल मानव संसाधन नियमावली में प्राविधानित राज्य मिशन प्रबन्धन इकाई, जिला मिशन प्रबन्धन इकाई एवं ब्लॉक मिशन प्रबन्धन इकाई हेतु आवश्यक पदों, उनके Indecative Numbers आवश्यक योग्यता एवं अनुभव के वर्षों का विवरण बुकलेट में है। <u>नोटः–</u> (1) उपरोक्त पदों के सापेक्ष होने वाले व्यय की पूर्ति मिशन की वित्तीय वर्ष 2017–18 की वार्षिक कार्ययोजना में स्वीकृत बजट में शामिल है। (2) उपरोक्त वर्णित तालिकाओं में मॉडल मानव संसाधन नियमावली की एवं मॉडल वित्त नियमावली के अन्तर्गत SMMU, DMMU एवं BMMU के वर्णित आवश्यक पद सम्मिलत है। ये पद शासकीय पद नहीं होंगे अपितु मिशन के ही पद होंगे एवं मिशन की समाप्ति के पश्चात् स्वतः ही समाप्त हो जायेंगे। उल्लेखनीय है कि मॉडल मानव संसाधन नियमावली (Model HR Manual) में कंडिका 8.0 में परफार्मेन्स मैनजमेंट सिस्टम की व्यवस्था है, जिसके अन्तर्गत प्रोफेशनल की सेवायें निरन्तर किये जाने अथवा समाप्त किये जाने का प्रावधान है। (3) उल्लेखनीय है कि राज्य मिशन प्रबन्धन इकाई, जिला मिशन प्रबन्धन इकाई एवं ब्लॉक मिशन प्रबन्धन इकाई के 255 पदों पर चयन प्रक्रिया जो वर्तमान में शासन स्तर पर लम्बित है, यदि उक्त प्रक्रिया को शासन से स्वीकृती प्राप्त हो जाती है तो राज्य स्तर, जनपद स्तर एवं विकास खण्ड स्तर पर रिक्त पदों की संख्या क्रमशः 34, 251 एवं 1991 है वह कम से कम 09, 152 एवं 1860 होगी। अतः शासी निकाय की समति से अपेक्षा है कि उपरोक्त पदों पर मिशन स्तर से मानव संसाधन नियमावली, वित्त संसाधन नियमावली एवं प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल के अन्तर्गत वणित प्रावधानों के अनुसार	समिति द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया कि शासी निकाय द्वारा मिशन को प्रत्येक वर्ष की वार्षिक कार्ययोजना में मानव संसाधन नियमावली / वित्त नियमावली के तहत आवश्यक प्रोफेशनल्स की सेवायें लिये हेतु अधिकृत किया गया। उक्त के साथ ही निम्न निर्देश भी दिये गये– • आगामी वित्तीय वर्ष हेतु वार्षिक कार्ययोजना के अनुरूप आवश्यक पुनः मानव संसाधन का अनुमोदन चालू वर्ष में 31 मार्च से पूर्व ही शासी निकाय से करा लिया जाये। • शासी निकाय द्वारा

		प्रोक्योरमेंट मैनुअल के अनुसार प्रोफेशनल्स के चयन हेतु HR Recruitment Agency एवं HR Payroll Management Agency की सेवायें लिये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान करना चाहें। ये एजेन्सियॉ 03 वर्षो के लिये अनुबन्धित की जायेंगी। प्रत्येक वर्ष की मिशन की वार्षिक कार्ययोजना के सापेक्ष आवश्यक पदों/रिक्त पदों हेतु HR Recruitment Agency के माध्यम से प्रोफेशनल का चयन कर HR Payroll Management Agency के माध्यम से प्रोफेशनल की सेवायें ली जायेंगी।	रिक्रूटमेंट हेतु **HR Recruitment Agency** एवं **pay role** हेतु **Human Resource pay role management agency** को आवश्यकता के अनुसार तीन वर्ष के लिए अनुबन्धित किया जा सकता है। • मानव संसाधन की चयन प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थी से यह शपथपत्र लिया जाये कि मिशन या सम्बन्धित एजेन्सी में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी का अभ्यर्थी से आपस में कोई सम्बन्ध नहीं है। यदि भविष्य में ऐसा पाया जाता है तो एजेन्सी को ब्लैकलिस्ट करते हुए सम्बन्धित अभ्यर्थी को सेवा से विरत कर दिया जायेगा। • मानव संसाधन के रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से की जाये। • समस्त प्रोफेशनल्स की सेवायें वार्षिक कार्ययोजना अवधि तक ही रहेंगी। • मिशन यह सुनिश्चित करें कि वार्षिक कार्ययोजना में वर्णित मानव संसाधन हेतु धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाये।

7.	**समस्त इन्टेन्सिव जनपदों में योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर ''जिला परियोजना समन्वय समिति'' (DPCC) के गठन का अनुमोदन।**	प्रदेश में मिशन के क्रियान्वयन माह अप्रैल, 2013 से प्रारम्भ किया गया है। मिशन के प्रारम्भिक वर्षो में मूल रूप से समूह गठन, ग्राम संगठन का गठन तथा क्षमता वर्द्धन के साथ–साथ वित्त पोषण का कार्य किया गया है। मिशन का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों की आजीविका संवर्धन करते हुये उन्हे गरीबी के दुश्चक्र से निकालना है। अतः यह आवश्यक है कि उन्हे विभिन्न विभागों की योजनाओं से भी जोड़ा जाये तथा जिले स्तर पर ही विभिन्न विभागों के साथ मिलकर एक कर्न्वजेन्स प्लान डेवलप किया जाये एवं उसका सफल क्रियान्वयन किया जाये। अतएव जिले स्तर पर विभिन्न विभागों को एक साथ लाते हुये प्रत्येक इन्टेन्सिव जनपद में एक ''जिला परियोजना समन्वय समिति'' (District Project Coordination Committee) का गठन किया जाना प्रस्तावित है। जिला परियोजना समन्वय समिति योजना के सफल संचालन एवं मूल्यांकन हेतु जिम्मेदार होगी। जिला परियोजना समन्वय समिति के कार्य व जिम्मेदारियां निम्नवत् होगीः– 1. प्रत्येक माह में योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति सम्बन्धित समीक्षा बैठक का आयोजन करना। 2. विभिन्न विभागों की योजनाओं से कन्वर्जेन्स के माध्यम से एन0आर0एल0एम0 अन्तर्गत गठित समूहों को लाभान्वित करने हेतु आवश्यक समन्वय स्थापित करना। 3. बैंक लिंकेज की प्रगति बढ़ाने हेतु आवश्यक समन्वय प्रदान करना। 4. समय–समय पर उच्च अधिकारियों से प्राप्त निर्देशों का अनुपालन। 5. अभिसरण के माध्यम से आजीविका मिशन को सशक्त करने हेतु समूहों को अवसर प्रदान करना। शासी निकाय की समिति से उक्त जिला परियोजना समन्वय समिति के गठन हेतु अनुमोदन अपेक्षित है।	समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
8.	**उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के संचालन हेतु पूर्व में जारी किये गये विभिन्न शासनदेशों एवं मिशन में लागू मॉडल मानव संसाधन नियमावली अन्तर्गत वर्णित प्रावधानों में विविधता एवं विरोधाभाष की स्थिति के सम्बन्ध में अवगत कराना।**	अवगत कराना है कि मिशन के संचालन हेतु विभिन्न शासनादेशों के द्वारा राज्य स्तर, जनपद स्तर एवं विकासखण्ड स्तर पर प्रोफेशनल के पद मिशन की मॉग पर समय–समय पर अलग–अलग शासनादेशों के माध्यम से सृजित किये जाते रहे हैं एवं उनकी निरंतरता भी जारी की जाती रही हैं जो कि निम्न हैः– **(1) कार्यालय ज्ञाप सं0 888/अड़तीस–6–12–32 एसजीएसवाई/2010 दिनांक 20 सितम्बर, 2012, (2) 81/अड़तीस–6–12–32 एसजीएसवाई/2010 टीसी–।।। दिनांक 06 फरवरी, 2013, (3) 992/अड़तीस–6–12–32 एसजीएसवाई/2010 टीसी दिनांक 11 सितम्बर, 2013, (4) 1156/अड़तीस–6–12–32 एसजीएसवाई/2010 दिनांक 07 नवम्बर, 2013, (5) 238/अड़तीस–6–14–32 एसजीएसवाई/2010 दिनांक 12 फरवरी, 2014, (6) 2–69/38–6–15–32 एसजीएसवाई/2010 दिनांक 15 जनवरी, 2015, (7) 138/38–6–17–10 (एसआरएलएम)/2014, दिनांक 22 मार्च, 2017 (छायाप्रति संलग्नक–3, पृष्ठ संख्या– 47–86)।** संज्ञान में लाना है कि शासी निकाय की 12वीं बैठक दिनांक 08.11. 2016 में मिशन की **मॉडल मानव संसाधन नियमावली** (Model HR Manual) को अनुमोदन प्राप्त हो चुका है एवं शासी निकाय की	समिति द्वारा उ0 प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को प्रत्येक वर्ष की वार्षिक कार्ययोजना (Annual Action Plan) के अनुसार मिशन में आवश्यक मानव संसाधन के पदों को मिशन में लागू तीनों मैनुअल (मानव संसाधन नियमावली, वित्त नियमावली एवं प्रोक्योरमेंट मैनुअल) के अन्तर्गत उसी वित्तीय वर्ष में 31 मार्च तक प्रोफेशनल्स की सेवायें लिये जाने हेतु अधिकृत

		11वीं बैठक दिनांक 18.2.2016 में मिशन की **<u>वित्त नियमावली(Model Finance Manual for SRLM)</u>** को अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। मॉडल मानव संसाधन नियमावली में Staffing Structure, Recruitment Process, Performance Review एवं Terminaton आदि का स्पष्ट उल्लेख है। उल्लेखनीय है कि 22 मार्च, 2017 के शासनादेश संख्या–**138/38–6– 17–10 (एसआरएलएम)/2014,** द्वारा पूर्व में विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से सृजित समस्त पदों की निरन्तरता जारी की गयी है, जिसकी वैद्यता दिनांक 21 मार्च, 2018 तक है। **(1)** उपरोक्त वर्णित तालिका से स्पष्ट है कि मॉडल मानव संसाधन नियमावली में वर्णित पदों के सापेक्ष अनुमन्य समस्त भत्तों यथा टी0ए0/डी0ए0, मोबाइल एलाउन्सेस, लैपटॉप एलाउन्सेस, चाइल्ड एजुकेशन एलाउन्सेस, स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा तथा वाहन हेतु अग्रिम के साथ वार्षिक वेतन वृद्धि का भी प्रावधान है जबकि शासन द्वारा जारी शासनादेशों में उक्त के विषय में कोई भी निर्देश नहीं दिये गये हैं। **(2)** मॉडल मानव संसाधन नियमावली में मिशन में कार्यरत स्टॉफ के परफार्मेंस रिव्यू सिस्टम की व्यवस्था का उल्लेख कंडिका–8.0 अन्तर्गत वर्णित है, जिसके अनुसार प्रत्येक वर्ष मिशन में कार्यरत स्टॉफ का परफार्मेंस रिव्यू किया जायेगा, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक कर्मी का परफार्मेंस स्कोर एक प्रक्रिया के अन्तर्गत निर्धारित किया जायेगा। 50 प्रतिशत से कम स्कोर वाले कर्मियों को Termination, 51 से 75 प्रतिशत तक के स्कोर वालों को परफार्मेंस में सुधार हेतु नोटिस जारी किया जायेगा एवं 76 से 100 प्रतिशत तक के स्कोर वालों को नॉन मानीटरी इन्सेन्टिव (Certificate, Trophy, Nomination For Managment Development Program) दिये जाने का प्रावधान है। **(3)**मॉडल मानव संसाधन नियमावली में समस्त पदों के पदनाम, वेतनमान, योग्यता, अनुभव आदि के साथ–साथ प्रतिनियुक्ति पर स्टॉफ लिये जाने/ओपन मार्केट से स्टॉफ लिये जाने के सम्बन्ध में एवं रिक्रूटमेंट प्रक्रिया सम्पन्न करने हेतु रिक्रूटमेंट एजेन्सी का चयन एवं चयनित स्टॉफ के पेरोल मैनेजमेंट हेतु ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एजेन्सी आदि का स्पष्ट उल्लेख है। **(4)**राज्य मिशन प्रबन्धन इकाई, जिला मिशन प्रबन्धन इकाई एवं ब्लॉक मिशन प्रबन्धन इकाई हेतु आवश्यक प्रोफेशनल एवं मैनपॉवर की संख्या भी मानव संसाधन नियमावली में स्पष्ट रुप से उल्लिखित है। **(5)** अन्य राज्यों जैसे–झारखंड, बिहार, राजस्थान आदि द्वारा भी मॉडल मानव संसाधन नियमावली अन्तर्गत ही मिशन की आवश्यकतानुसार पदों का सृजन एवं उक्त पदों पर भर्ती का कार्य रिक्रूटमेंट एजेन्सी के माध्यम से किया जा रहा है एवं किसी भी राज्य द्वारा प्रोफेशनल के पदों का सृजन शासन स्तर से नहीं किया जा रहा है। **(6)** मिशन में प्रोफेशनल्स आदि के पदों का सृजन एवं निरन्तरता यदि शासन स्तर से जारी की जायेगी तो भविष्य में ये पदधारक शासकीय कर्मचारी होने की विधिक मांग भी कर सकते हैं। **(7)** उक्त मानव संसाधन नियमावली एवं वित्त नियमावली का	किया गया। जिन पदों की आवश्यकता न हो उन्हें वार्षिक कार्ययोजना में न रखा जाये।

		अनुमोदन भी क्रमशः शासन के पत्रांक–665 / 38–6–15–19 एस0आर0एल0एम0 / 2014 दिनांक 06 जुलाई, 2015 एवं पत्रांक 1085 / 38–6–15–32 (एसजीएसवाई) / 2010 दिनांक 10.10.2015 के माध्यम से निर्गत किया जा चुका है। मिशन हेतु थिमेटिक प्रोफेशनल के पद शासकीय पद नहीं हैं ये मिशन के पद हैं। अतः इन पदों हेतु पृथक से शासनादेश की आवश्यकता नहीं है। अपितु यह योजना अवधि तक के पद हैं जो कि योजना की समाप्ति पर स्वतः ही समाप्त हो जायेंगे। उक्त योजना अवधि में प्रत्येक प्रोफेशनल के मिशन के साथ निरन्तरता के लिये वार्षिक परफार्मेंस रिव्यू में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। प्रदेश में योजना का क्रियान्वयन चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है, जैसे–जैसे योजना का विस्तार इंटेंसिव जनपदों एवं इंटेंसिव विकासखण्डों में किया जायेगा। शासी निकाय की स्वीकृति के पश्चात उक्त जनपदों एवं विकासखण्ड स्तरीय पदों का सृजन मिशन स्तर से प्रोक्योरमेंट मैनुअल एवं मॉडल मानव संसाधन नियमावली अन्तर्गत किया जाएगा। **(8)** उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं के दृष्टिगत पृथक से शासनादेश के माध्यम से पदों का सृजन, योग्यता एवं वेतनमान आदि का निर्धारण एवं प्रत्येक वर्ष उक्त पदों के सापेक्ष शासन स्तर से निरन्तरता जारी किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः पदों के सृजन एवं उनकी निरन्तरता के सन्दर्भ में पूर्व में जारी समस्त शासनादेशों जो पृष्ठ 18 पर वर्णित हैं, जिसके अनुसार शासन द्वारा पूर्व मे सृजित पदों की निरन्तरता 28 फरवरी, 2018 तक है, उक्त तिथि के पश्चात् स्वतः समाप्त हो जायेगे। अतः शासी निकाय की समिति से अनुरोध है किः– 9. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM) की प्रत्येक वर्ष की वार्षिक कार्ययोजना के अनुसार मिशन में आवश्यक मानव संसाधन के पदों के सृजन एवं निरन्तरता हेतु मिशन में लागू प्रोक्योरमेंट मैनुअल, फायनेन्स मैनुअल एवं मानव संसाधन नियमावली के अन्तर्गत किये जाने हेतु अधिकृत किया जाये। 2. पूर्व में मिशन अन्तर्गत कार्यरत राज्य स्तरीय, जनपद स्तरीय एवं विकासखण्ड स्तरीय 106 प्रोफेशनलों एवं 255 प्रोफेशनलों जिनके लिये जाने की प्रक्रिया शासन स्तर पर लम्बित है, की सेवायें मिशन में फरवरी, 2018 के पश्चात् भी निरन्तर रखे जाने की आवश्यकता है। इन कर्मियों का ट्रान्जिशन (Transition) मानव संसाधन नियमावली में वर्णित कंडिका–8.0 परफार्मेंस रिव्यू सिस्टम अन्तर्गत वर्णित प्रावधान के अन्तर्गत किया जायेगा। अतः उक्त प्रस्ताव पर शासी निकाय समिति स्वीकृति प्रदान करना चाहें।	
9.	**उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की शासी निकाय में सदस्य बनाये जाने**	ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित आजीविका स्किल्स योजना जिसका बजट जी0ओ0आई0 द्वारा यू0पी0एस0आर0एल0एम0 को आंवटित किया जाता है तथा यू0पी0एस0आर0एल0एम0 द्वारा कौशल विकास मिशन को हस्तांतरित किया जाता है। योजना के क्रियान्वयन एवं सफल संचालन की जिम्मेदारी यू0पी0एस0आर0एल0एम0 की है। अतः प्रस्तावित है कि उ0प्र0 कौशल विकास मिशन के मुख्य कार्यपालक अधिकारी / मिशन निदेशक को यू0पी0एस0आर0एल0एम0 की प्रबन्धकार्यकारिणी समिति (शासी निकाय) का सदस्य बनाया जाये।	समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

	के सम्बन्ध में।		
10.	**उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के राज्य कार्यालय द्वारा भवन को किराये पर लिए जाने, उसकी अवस्थापना सुविधा संबंधी कार्य कराये जाने, भवन स्वामी एवं किरायेदार के मध्य एम0ओ0यू0 निष्पादित किये जाने का कार्योत्तर अनुमोदन ।**	कृपया शासनादेश संख्या 427/38–6–15–20 (एस0आर0एल0एम0)/14 टी0सी0 दिनांक 15.04.2015 द्वारा उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 द्वारा दिये गये आगणन को शासन के निर्देशानुसार आयुक्त, ग्राम्य विकास कार्यालय स्तर पर गठित मूल्यांकन (अप्रैजल) समिति से मूल्यांकन कराने के उपरान्त रू0 145.87 लाख का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है जिसमें रू0 97. 54 लाख कार्यो पर तथा रू0 48.33 लाख फर्नीचर व कान्फ्रेन्स रूम आदि पर व्यय किया जायेगा। उक्त कार्य भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप कराये जाने के निर्देश प्रदान करते हुए इस शर्त के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया कि यू0पी0एस0आर0एल0एम0 द्वारा भवन को किराये पर लिए जाने, उसकी अवस्थापना सुविधा संबंधी कार्य कराये जाने, भवन स्वामी एवं किराये दार के मध्य एम0ओ0यू0 निष्पादत किये जाने का अनुमोदन अनिवार्य रूप से यू0पी0एस0आर0एल0एम0 की गवर्निंग बाडी से प्राप्त कर लिया जाये। उपरोक्त के क्रम में एल्डिकों हाउसिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 के एल्डिकों कारपोरेट टावर, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, (इन्दिरागांधी प्रतिष्ठान चौराहा) लखनऊ के भूतल एवं प्रथम तल के सुपर एरिया 5532 वर्गफिट/बिल्ट–अप एरिया 4122 वर्गफिट को किराये पर लेते हुए भवन स्वामी के मध्य दिनांक 25 मई, 2015 को 9 वर्ष के एम0ओ0यू0 का निस्पादन किया जा चुका है एवं उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 द्वारा दिये गये आगणन के अनुरूप अवस्थापना सुविधा संबंधी समस्त कार्य पूर्ण कराये जा चुके हैं। उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए समिति से अनुरोध है कि शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में यू0पी0एस0आर0 एल0एम0 द्वारा भवन को किराये पर लिए जाने, उसकी अवस्थापना सुविधा संबंधी कार्य कराये जाने, भवन स्वामी एवं किराये दार के मध्य एम0ओ0यू0 निष्पादित किये जाने का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त करना चाहें। **(संलग्नकः– 4, पृष्ठ संख्याः– 87–92)**	समिति द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।
11.	**प्रदेश में कार्यरत बैंकों के साथ के साथ प्रस्तावित एम0ओ0यू0 का अनुमोदन।**	उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित सामुदायिक संस्थाओ (स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन, क्लस्टर लेवल फेडरेशन) के वित्तीय समावेशन हेतु बैंक एक महत्तवपूर्ण माध्यम है। बैंक द्वारा सामुदायिक संस्थाओ का बैंक खाता खोलना, बैंक क्रेडिट लिंकेज करना, बीमा सेवाये, समूह के सदस्यों का व्यक्तिगत बचत खाता खोलना, व्यक्तिगत ऋण प्रदान करना एवं बल्क ऋण इत्यादि सेवाए प्रदान की जाती है। परन्तु वर्तमान में समूह के सदस्यों को उपरोक्त सेवाए समय से नहीं मिल पा रही है ।समूहों को बचत खाता खोलने का फार्म, क्रेडिट लिंकेज का फार्म आदि समय से उपलब्ध न होने तथा बैंकर्स का सामुदायिक संस्थाओ के साथ समन्वय न होने के कारण गरीब परिवार वित्तीय समावेशन से वंचित रह जाते है । बैंक एवं मिशन के सामुदायिक संस्थाओ के वित्तीय समावेशन हेतु क्या उत्तरदायित्व है एवं इनके मध्य समन्वय कैसे स्थापित किया जाये, इस हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, भारत सरकार द्वारा एस.आर.एल.एम. एवं बैंको के मध्य गैर वित्तीय एम.ओ.यू. किये जाने हेतु कहा गया है एवं इस प्रयास के अंतर्गत भारत सरकार	समिति द्वारा इस शर्त के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया कि एम0ओ0यू0 से मिशन के ऊपर किसी प्रकार की लाइबिलिटी न आये।

		द्वारा बैंक ऑफ बडौदा, पंजाब नेशनल बैंक एवं अन्य बैंकों के साथ अन्य प्रदेशो में एम.ओ.यू. किया जा रहा है। अन्य प्रदेशो के एस.आर.एल.एम. एवं बैंको के मध्य एम.ओ.यू. किया गया है जिनके परिणाम वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में अति उत्साहजनक मिले है। बैंक ऑफ बडौदा, आई.डी.बी.आई. बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त एवं प्रदेश के अन्य बैंको द्वारा मिशन के साथ एम.ओ.यू. किये जाने हेतु इच्छा व्यक्त की गयी है। भारत सरकार द्वारा बैंकों के साथ किये जाने वाले एम.ओ.यू. का प्रारूप प्रेषित किया गया है, जिसके आधार पर बैंको के साथ एम.ओ.यू. किया जा सकता है। बैंको के साथ किया जाने वाला एम.ओ.यू. पूर्णतः गैर वित्तीय एम.ओ.यू. है। उक्त के क्रम में समिति से अनुरोध है कि प्रदेश में कार्यरत बैंकों के साथएम.ओ.यू. किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान करना चाहें। **(संलग्नकः— 5, पृष्ठ संख्याः— 93—114)**	
12.	**स्टार्ट अप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम (SVEP) को चार नए ब्लॉक में क्रियान्वित करने हेतु जनपद बिजनौर के नजीबाबाद विकासखण्ड में कुदुम्बश्री, केरला के साथ तथा जनपद वाराणसी के आराजी लाइन विकासखण्ड, जनपद लखीमपुर खीरी के निघासन विकासखण्ड एवं जनपद सोनभद्र के दुधि विकासखण्ड में क्रियान्वयन हेतु EDI, अहमदाबाद के साथ एम0ओ0यू0 निष्पादित किया गया है। शासी निकाय के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित।**	SVEP- भारत सरकार की एक विशेष परियोजना है, जिसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के उन गरीब परिवारों को लाभ पहुंचाया जायेगा जो गरीबी से छुटकारा पाने के लिए सूक्ष्म उद्यम स्थापित करना चाहते हैं। एस0वी0ई0पी0 परियोजना अन्तर्गत इस बात को स्वीकार किया गया है कि बाजार की समझ, सम्बन्धित व्यवसाय की जानकारी, अकाउंटिंग, कॉस्टिंग स्किल तथा उचित वित्तीय सहयोग की कमी जैसे पर्याप्त व्यावसायिक कौशल के न होने से इन सूक्ष्म/नैनो उद्यमों को अपना अस्तित्व बनाये रखने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और प्रायः से उद्यम कामयाब नहीं हो पाते या फिर कम आमदनी प्राप्त करने वाले निष्क्रिय उद्यम बनकर रह जाते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए और छोटे उद्यमों तथा हुनर वाले कामगारों को प्रशिक्षण और ऋण दोनों के सम्बन्ध में सहायता प्रदान करने के लिए एस0वी0ई0पी0 परियोजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। वर्तमान में परियोजना का क्रियान्वयन जनपद अलीगढ़ के टप्पल विकासखण्ड एवं जनपद मिर्जापुर के छानवे विकासखण्ड में ई0डी0आई0, अहमदाबाद के द्वारा किया जा रहा है। इन दोनों विकासखण्डों में ग्रामीण गरीबों को उद्यमों की स्थापना करने में मदद प्रदान करके और उनके उद्यमों के टिकाऊ बनने तक उन्हें सहायता कर गरीबी से उबारने में उनकी मदद की जा रही है। इस कार्य में सम्मिलित सामुदायिक संगठनों को व्यावसायिक प्रबंधन, परियोजना प्रबंधन, निगरानी कार्यों तथा समस्त क्षमता निर्माण गतिविधियों में क्रियान्वयन संस्था का महत्वपूर्ण कार्य होता है। कुदुम्बश्री एवं ई0डी0आई0, भारत सरकार द्वारा SVEP हेतु नामित एन0आर0ओ0 संस्थाएं है। कार्यक्रम की प्रगति एवं समुदाय को हो रहे लाभ को देखते हुए एस0वी0ई0पी0 हेतु अनुपूरक वार्षिक कार्य योजना भारत सरकार को 04 नये विकासखण्डों (जनपद वाराणसी के अराजी लाइन विकासखण्ड, जनपद सोनभद्र के दुधि विकासखण्ड, जनपद लखीमपुर खीरी के निघासन विकासखण्ड एवं जनपद बिजनौर के नजीबाबाद विकासखण्ड) में करने हेतु प्रेषित किया गया था। उक्त का अनुमोदन दिनांक 20 जुलाई, 2017 को ग्राम्य विकास विभाग, भारत सरकार की स्पेशल एम्पावर्ड कमेटी द्वारा किया गया है।	समिति अवलोकित हुई।

		प्रत्येक ब्लॉक में अगले 04 वर्षो में अनुमानित 2400 उद्यम स्थापित करना प्रस्तावित है। इस कार्यक्रम के लिए वर्ष 2017–18 में रु0 597 लाख का बजट आवंटित किया गया है। प्रथम किश्त के रुप में भारत सरकार के द्वारा केन्द्रांश के रुप में रु0 72 लाख अवमुक्त करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है। 04 में से 03 ब्लॉक जनपद वाराणसी का विकासखण्ड अराजी लाइल, जनपद लखीमपुर खीरी का विकासखण्ड निघासन एवं जनपद बिजनौर का विकासखण्ड नजीबाबाद में क्रियान्वयन हेतु वर्तमान में कार्यरत संस्था EDI, अहमदाबाद के साथ तथा दुधि, सोनभद्र ब्लॉक में कुदुम्बश्री, केरला के साथ एम0ओ0यू0 किया जा चुका है। SVEP योजना अन्तर्गत जनपद बिजनौर के नजीबाबाद विकासखण्ड में क्रियान्वयन के लिए कुदुम्बश्री, केरला के साथ एवं जनपद वाराणसी के अराजी लाइन विकासखण्ड, जनपद लखीमपुर खीरी के निघासन विकासखण्ड एवं जनपद सोनभद्र के दुधि विकासखण्ड में क्रियान्वयन हेतु EDI, अहमदाबाद के साथ एम0ओ0यू0 निष्पादित किया गया है। शासी निकाय के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित। **(संलग्नकः– 6, पृष्ठ संख्याः– 115–124)**	
13.	**ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना का क्रियान्वयन उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा प्रारम्भ कर लिया गया है। शासी निकाय के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित।**	अवगत कराना है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में वाहन की समस्या को दृष्टिगत रखते हुये ग्रामीण क्षेत्रों में वाहनों के संचार को बढ़ाने एवं ग्राम में रह रहे गरीब परिवारो को एक सतत् आजीविका का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना को भारत के 250 विकासखण्डों में क्रियान्वित करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत गठित सामुदायिक संस्थाओं के माध्यम से क्रियान्वित किया जायेगा। उक्त के क्रम में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–**J-11011/1/2016-RL** दिनांक 01 अगस्त, 2017 के माध्यम से उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु विस्तृत दिशानिर्देश जारी किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के इंट्रेस्ट सब्वेन्शन के श्रेणी–1 के 24 जनपदों के 24 विकासखण्डों में कार्य करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि **योजना के क्रियान्वयन हेतु बजट की व्यवस्था मिशन के वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु आवंटित बजट अन्तर्गत Community Investment Support Fund मद में है।** ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना के क्रियान्वयन हेतु वार्षिक कार्ययोजना तैयार करने हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया था, जिसके अनुपालन के क्रम में मिशन द्वारा वार्षिक कार्ययोजना तैयार कर पत्र संख्या–**Do.No.-1006/1016/ UPSRLM/2017-18** द्वारा दिनांक 03 अगस्त, 2017 के माध्यम से भारत सरकार को प्रेषित की गयी थी, जिस पर ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–**J-11011/1/2016-RL(352855)** द्वारा दिनांक 25 अगस्त, 2017 के माध्यम से मिशन द्वारा प्रेषित वार्षिक कार्ययोजना को अनुमोदन प्रदान कर दिया गया	समिति अवलोकित हुई।

		है। अतः उक्त योजना शासी निकाय के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित।	
14.	**उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एम0एन0आर0ई0) द्वारा संचालित मिल्यन सोल (SoULS) प्रोग्राम के संचालन हेतु आई0आई0टी0 बाम्बे एवं ई0ई0एस0एल0 के मध्य त्रिपक्षीय अनुबन्ध किया जा चुका है। शासी निकाय के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित।**	अवगत कराना है कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE), भारत सरकार द्वारा देश के पॉच राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, उड़ीसा एवं झारखण्ड में Solar Urja Through Localization for Sustainability (SoULS) कार्यक्रम के अन्तर्गत 70 लाख सोलर लैम्प का वितरण subsidized rates (रू0–100 प्रति लेम्प) पर किया जाना है। यह कार्यक्रम आई0आई0टी0 बाम्बे के टेक्निकल सपोर्ट एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के वित्तीय सहयोग द्वारा उ0प्र0 के चयनित 115 विकासखण्डो में किया जाना है। इन 115 विकासखण्डों का चयन, विकासखण्ड में केरोसीन के उपयोग एवं विद्यालय ना जाने वाले (School Drop Outs) विद्यार्थियों के प्रतिशत एवं मिशन द्वारा इन्टेन्सिव रुप से लिये गये इन्टेन्सिव विकासखण्डों के आधार पर किया गया है। मिशन को संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक 11057/01/2015/NRLM (SVEP) दिनांक 11 जनवरी, 2017 एवं पत्रांक S-11057/01/2015/NRLM(SVEP) दिनांक 16 मई, 2017 द्वारा इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु आई0आई0टी0 बाम्बे के साथ पार्टनरशिप Opportunities तलाशने हेतु निर्देशित किया गया था। इसके अतिरिक्त संयुक्त सचिव, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के पत्रांक 42/25/2017–18/PVSE दिनांक 09 जून, 2017 द्वारा राज्य में इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु Energy Efficiency Services Ltd. एवं आई0आई0टी0 बाम्बे के साथ कार्य किये जाने हेतु सूचित किया गया। इसके अतिरिक्त शासन के पत्र संख्याः– 664/38–6–2017 दिनांक 26 सितम्बर, 2017 में उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को जोनल एग्जीक्यूशन एजेन्सी नामित करते हुये कार्यवाही अपेक्षित की गयी है। उपरोक्त के क्रम में उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को 29 जनपदों के 115 विकासखण्डों में इस योजना को क्रियान्वित करने हेतु मिशन, आई0आई0टी0 बाम्बे एवं Energy Efficiency Services Ltd. (EESL) के मध्य त्रिपक्षीय एम0ओ0यू0 किया जा चुका है। शासी निकाय के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित। **(संलग्नकः–8, पृष्ठ संख्याः– 145–155)**	समिति अवलोकित हुई।